

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० :
38/NTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
30-08-2025

कांसो देवी विधवा जगदीश चन्द, निवासी गांव डोलवां, डाकघर डोल, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थिया कांसो देवी ने इस अदालत में अपने पति के नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि महाल डोलवां के राजस्व रिकार्ड में जगदीश दर्ज है जबकि सही नाम जगदीश चन्द है। जिसे वह दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है जगदीश उर्फ जगदीश चन्द किए जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 30-08-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 14-08-2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मिसल नं० :
40/RNT/2025

किस्म मुकद्दमा :
मृत्यु तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
30-08-2025

वीर वाला पुत्र जगत राम पुत्र रोडा राम, निवासी गांव व डाकघर त्रिलोकपुर, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी वीर वाला ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि जिसमें उन्होंने अपने पिता जगत राम पुत्र रोडा राम की मृत्यु तिथि 03-10-1968 दर्शाई है। प्रार्थी अपने पिता रोडा राम की मृत्यु तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करवाना चाहता है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो

गवाहों के हल्फिया ब्यान आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जगत राम की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30-08-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर मृत्यु तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 14-08-2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० :
41/RNT/2025

किस्म मुकद्दमा :
जन्म तिथि पंजीकरण

तारीख पेशी :
30-08-2025

रस पाल पुत्री अमर चन्द, गांव व डाकघर कोटला हाल पत्नी वृज लाल, निवासी गांव लुटेहड़,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थिया रस पाल पुत्री अमर चन्द ने इस अदालत में आवेदन-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला पंजीकार जन्म व मृत्यु कांगड़ा स्थित धर्मशाला के माध्यम से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 23-01-1960 दर्शाई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत उसने बतौर सबूत हल्फिया ब्यान, दो गवाहों के हल्फिया ब्यान, आधार कार्ड व मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रस पाल पुत्री अमर चन्द, गांव व डाकघर कोटला की जन्म तिथि ग्राम पंचायत वलाह कोटला में दर्ज किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 30-08-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा कर जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 14-08-2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं० :
42 / NTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
30-08-2025

नरैण सिंह पुत्र गाहडा, निवासी गांव जोल, डाकघर भाली, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

प्रार्थी नरैण सिंह ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया, परिवार नकल, आधार कार्ड, नकल जमाबन्दी 2017-18 महाल जोल इस आशय से गुजारा है कि राजस्व कागजात महाल जोल में नारायण सिंह दर्ज है जोकि सही न है। जबकि सही नाम नरैण सिंह है। इसलिए वह अपना नाम महाल जोल के राजस्व रिकार्ड में नारायण सिंह उर्फ नरैण सिंह पुत्र गाहडा दर्ज कागजात करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इश्तहार से सूचित किया जाता है कि महाल जोल के राजस्व रिकार्ड के नारायण सिंह उर्फ नरैण सिंह पुत्र गाहडा किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 30-08-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि०प्र०)।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, उप-तहसील कोटला,
जिला कांगड़ा (हि०प्र०)**

मिसल नं० :
37 / NTK

किस्म मुकद्दमा :
नाम दुरुस्ती

तारीख पेशी :
30-08-2025

जीत सिंह पुत्र धूमी राम, निवासी गांव ककड़ोह, डाकघर वेही पठियार, उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा, हि० प्र०।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थी जीत सिंह ने इस अदालत में अपने नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि आधार कार्ड व महाल ककड़ोह के राजस्व रिकार्ड में दलजीत सिंह पुत्र धूमी दर्ज है। जबकि स्कूल प्रमाण-पत्र व अन्य दस्तावेज में जीत सिंह पुत्र धूमी राम जिसे वह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को बजरिया इशतहार से सूचित किया जाता है कि दलजीत सिंह की बजाये दलजीत सिंह उर्फ जीत सिंह पुत्र धूमी राम किये जाने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में 30-08-2025 को आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 14-08-2025 को हस्ताक्षर व मोहर इस अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
उप-तहसील कोटला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
